पत्र संख्या (वि0अनु0शा0) मु0/सं0प0/ 2023-24/B1/ पंजाब/ 977 **/राज्य कर**

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांक: 21 जुलाई, 2023

समस्त

अपर आयुक्त ग्रेड -1, राज्य कर

उत्तर प्रदेश।

विषयः <u>प्रांत बाहर की फर्मो द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की फर्मो से किये गये संव्यवहार की जाँच आख्या संबन्धित राज्य को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।</u>

परिपत्र संख्या - 2223042 दिनांक : 22-08-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी इन्वाइस के आधर पर प्रांत के पंजीकृत व्यापारियो द्वारा क्लेम की जाने वाली आई0टी0सी0 नियमानुसार अनुमन्य न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु Enforcement Alert / पत्रो के माध्यम से सूचना खंड स्तर पर लगातार उपलब्ध करायी जा रही हैं। मुख्यालय स्तर से की जाने वाली समीक्षा बैठको में नियमित रूप से इस बिन्दु पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। अवगत कराना हैं कि प्रांत बाहर से प्राप्त होने वाले पत्रो में जांच आख्या भी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं। परन्तु कतिपय जोन द्वारा फर्मो की जांच किये जाने के पश्चात Enforcement Alert Module में जांच आख्या फीड तो की जा रहीं है परंतु संबन्धित राज्य को उक्त जांच आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण संबन्धित राज्य द्वारा मुख्यालय स्तर पर लगातार अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जा रही हैं। यह स्थिति उचित नहीं हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं कि प्रांत बाहर की फर्मो द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की फर्मो से किये गये संव्यवहार की जाँच कर विधिक कार्यवाही कराकर आख्या संबन्धित राज्य को उपलब्ध कराते हुये मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर

उत्तर प्रदेश।